आवेदन क्रमांक	आवेदन प्रपत्र मुल्य रू. 500.00

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

उज्जैन से आगर, कानड़ मार्ग पर दुग्ध परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

वर्ष 2018–19

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
मक्सी रोड़ डेयरी प्लांट, उज्जैन–456001
दूरभाष – 2527061,2527068,2527066

मोनो

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड़, पोस्ट बॉक्स नं.106, उज्जैन–456001 (म.प्र.)
दूरभाष – 0734–2527068, फेक्स नं. 2527063

सॉंची दुग्ध परिवहनकर्ताओं की नियुक्ति हेतु ई–निविदा सूचना

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मार्यादित, उज्जैन द्वारा उज्जैन से आगर, कानड़ मार्ग पर सॉची दूध एवं दुग्ध पदार्थ के परिवहन हेतु परिहवनकर्ता प्रति किलोमीटर दर पर नियुक्त करने के लिए दो वर्ष की अवधि (जिसे कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से एक–एक वर्ष करके तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।) हेतु निम्नांकित मार्ग पर निविदा आमंत्रित की जाती है :–

वाहन का प्रकार	क्रेट क्षमता	मार्ग का नाम	मार्ग की दूरी
टाटा–608 या समकक्ष (तापरोधी)	450 क्रेट	उज्जैन से आगर, कानड़ मार्ग	195 कि.मी.

इच्छुक आवेदक वेबसाईट http://www.mpeproc.gov.in कें माध्यम से निविदा प्रपत्र दिनांक 17/07/2018 दोपहर 1:00 बजे तक ऑनलाईन क्रय कर पूर्ण रूप से भरे निविदा प्रपत्र उसी दिन दोपहर 2:00 बजे तक ऑनलाईन जमा करें। निविदा प्रपत्र में वर्णित तकनीकी अर्हता संबंधी वांछित दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करने के साथ भौतिक रूप से संघ कार्यालय उज्जैन में भी जमा करना होंगे, साथ ही अमानत राशि रू. 25000/– का डी.डी . भी भौतिक रूप से दिनांक 17/07/2018 को दोपहर 2:00 बजे तक उज्जैन दुग्ध संघ कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। प्राप्त सभी निविदाएं उसी दिन दोपहर 3:00 बजे निविदाकार/प्रतिनिधि के समक्ष समिति द्वारा खोले जावेगें। अन्य विस्तृत जानकारी के लिए वेब साईट www.mpcdf.gov.in पर लॉग ऑन करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
दुग्ध परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन हेतु
निविदा प्रपत्र

1	निविदा प्रपत्र विक्रय आरंभ करने की तिथि एवं समय	दिनांक 26/06/2018 प्रातः 11:00 बजे
2	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	17/07/2018 दोपहर 11:00 बजे तक
3	निविदा जमा करने की तिथि एवं समय	17/07/2018 दोपहर 01:00 बजे तक
4	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	17/07/2018 दोपहर 3:00 बजे
5	निविदा के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि	टाटा– 608 अथवा समकक्ष वाहन हेतु अमानत राशि रूपये 25000/– (पच्चीस हजार रूपये) डी.डी. उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन पेयबल एट उज्जैन के नाम से देय हो।
6	निविदा प्रपत्र का मुल्य	रूपये 500/– (पांच सौ मात्र)
7	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
8	धरोहर राशि (ई.एम.डी.)	लिफाफा "A"
9	दुग्ध परिवहन कर्ता कार्य हेतु तकनीकी अर्हताऐं'' का प्रारूप एवं सामान्य शर्ते	प्रपत्र 01 एवं 02 लिफाफा 'B'
10	''भाव पत्र/दरें'' प्रस्तुत करने का प्रारूप	प्रपत्र– 03 (केवल ऑनलाईन भरें।)
11	अनुबंध का प्रारूप	प्रपत्र – 04

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :–

- धरोहर राशि EMD का डी.डी. भौतिक रूप से एक अलग लिफाफा रखे। जिस पर लिफाफा "A" लिखा जाए।
- प्रपत्र क्रमांक 01 ''तकनीकी अर्हताएं'' तथा प्रपत्र क्रमांक 02 '' निविदा की शर्ते'' एवं प्रपत्र क्रमांक 04 '' अनुबंध की शर्ते'' (एक ही बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावे एवं लिफाफे पर लिफाफा "B"– प्रपत्र 1 '' तकनीकी अर्हताएं'' एवं प्रपत्र 2 निविदा की शर्ते लिखा जावें। (प्रत्येक दस्तावेज पृष्ठ पर निविदाकार के हस्ताक्षर होना जरूरी है।)
- उक्त दोनो "A" एवं "B" बंद लिफाफे एक साथ एक अन्य लिफाफे में बंद कर कार्यालय में दिनांक 25/06/2018 को दोपहर 2:00 बजे तक जमा की जावें। पहले ''तकनीकी

अर्हताएं'' तथा निविदा शर्तों का लिफाफा खोला जावेगा। तकनीकी अर्हताएं में सफल निविदाकर्ताओं की ही ऑनलाईन प्राप्त दरें खोली जाएगी।

- निविदा प्रपत्र क्रमांक 02 एवं 4 में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावगी।
- प्रपत्र 03 जिसमें दरें संलग्न होगी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही भेजा जाए एवं भौतिक रूप से प्राप्त दरों को निरस्त समझा जावेगा ।

नोट :—सभी निविदाकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे धरोहर राशि "EMD" का डी.डी. भौतिक रूप से अलग लिफाफे "A" में भेजे। लिफाफा "A" तथा "B" निविदा खोलने की दिनांक एवं समय से पूर्व भौतिक रूप से उज्जैन दुग्ध संघ में जमा करें । दस्तावेज जिन्हें ऑनलाईन नहीं भेजा जा सकता है, को साथ ही लिफाफा "B" में दिनांक 17/07/2018 को दोपहर 1:00 बजे तक प्रेषित करें। प्रपत्र क्रमांक 03 जो "Price Bid" होगी, को सिर्फ और सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही भेजा जावे एवं भौतिक रूप से प्राप्त "Price Bid" को निरस्त समझा जावेगा।

टिप्पणी :—

1. निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी कोई परिवर्तन नही होगा किन्तु यदि निविदा तकतीकी बिड व फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के अगले कार्य दिवस पर पूर्व निधारित समय पर खोली जावेगी।
2. निविदा कार्य अवधि :—

   निविदाऐं निर्धारित कार्य अवधि वर्ष 2018—2020 (2 वर्ष) के लिए आमंत्रित है। कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से एक—एक वर्ष करके तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

(टेक्नीकल बीड)

प्रपत्र क्रमांक – 01

सॉची दूध परिवहनकर्ता हेतु
निविदा की आवश्यक शर्तें

1. निविदाकार को निविदा प्रपत्र – 01 के साथ स्व प्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
2. निविदाकार एक निविदा प्रपत्र में एक ही मार्ग हेतु दरें प्रस्तुत कर सकेगा। अलग–अलग मार्ग हेतु अलग–अलग निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साथ ही प्रत्येक मार्ग हेतु अलग–अलग अर्नेस्टमनी जमा करना भी अनिवार्य है।
3. निविदाकार के पास स्वयं का इन्सुलेटेड वाहन होना आवश्यक है यदि निविदाकार नया वाहन क्रय करना चाहता है तो तदाशय शपथ पत्र निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें। वाहन को इंसुलेटेड कराने हेतु एक माह का समय दिया जावेगा। इंसुलेटेड वाहन (थर्मोकोल हैवी डेन्सिटी 4 इंच या पफ इंशुलेटेड 02 इंच) वर्ष – 2014 या उसके बाद पंजीकृत वाहन होना चहिए, वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ. से कराकर कार्यालय में जमा करनी होगी। अन्यथा कार्यादेश निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकती हैं।
4. निविदाकार आवेदक को निविदा के साथ रूपये 25,000/– (रूपये पच्चीस हजार) डी.डी. अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। डी.डी. उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन ''पेयबल एट उज्जैन'' के नाम बनाया जाए। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदक की निविदा पर विचार नही किया जाएगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। निविदा स्वीकृति होने पर अर्नेस्टमनी अमानत राशि में समायोजित हो जावेगी।
5. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकार की अर्नेस्टमनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
6. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदाकार को निर्धारित प्रतिभूति राशि का नगद रूपये 1,00,000/– (एक लाख रूपये मात्र) संघ में जमा करना अनिवार्य है।
7. निविदा प्रपत्र के साथ आवेदक निविदाकार द्वारा दी गई जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, साथ ही आवेदक का ऐसा आवेदन निरस्त समझा जावेगा।
8. आवश्यकता प्रतिपादित होने पर न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार से नेगोशिएशन कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा।
9. निविदा स्वीकृत की स्थिति में सफल निविदाकार को संघ द्वारा निर्धारित औपचारिकताऐं पूर्ण कर निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध निष्पादित करना होगा ।
10. निविदाकार को निविदा प्रपत्र में दरें केवल ऑनलाईन ई–टेण्डर में ही वर्णित करनी होगी।

11. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए हुए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

12. निविदाकार/आवेदक दरों में प्रचलित डीजल दरों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। निविदा हेतु स्वीकृत पश्चात ठेका अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी, उसका प्रभाव परिवहनकर्ता को उनके द्वारा प्रस्तुत परिवहन दर पर अनुपातिक रूप से संघ के निर्धारित नियमानुसार किया जा सकेगा। जो मान्य करना होगा।

13. निविद प्रपत्र के साथ संघ के साथ किये जाने वाले अनुबंध प्रपत्र संलग्न है जिसकी शर्ते आवश्यक रूप पढ़ कर समझ लें।

14. परिवहनकर्ता को निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में बतौर प्रतिभूति राशि रूपये 1,00,000/– (एक लाख रूपये मात्र) नगद संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। साथ ही अमानत बतौर स्वयं के नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाते की 5 रेखांकित/हस्ताक्षरित चैक भी जमा करने होगें जो किसी भी विवाद की स्थिति में संघ की लेनदारी में भुनाये जा सकेगें।

15. निविदा स्वीकृति के उपरांत परिवहनकर्ता की कार्य अवधि दो वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगीं। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य दो वर्षो की अवधि में संतोषप्रद पाए जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष करके तीन वर्षों तक आपसी सहमति से बढ़ायी जा सकेगी।

16. कार्य आदेश से पूर्व सभी औपचारिकताएं निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि भी राजसात की जा सकेगी।

मेरे द्वारा सॉची दूध परिवहनकर्ता की निविदा एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ व समझ ली है तथा मैं/ हम सभी शर्तों को मानने के लिए सहज तैयार हुं/है। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 16 तक वर्णित शर्तों को पालन नही करता हूँ, तो मेरी निविदा निरस्त कर मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

(तकनीकी अर्हताएं)

प्रपत्र 02

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
उज्जैन

पासपोर्ट साईज फोटो (स्व प्रमाणित)

महोदय,

दुग्ध परिवहनकर्ताओं कार्य हेतु दिनांक ....को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित ई–निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हुॅ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ कर समझ लिए गये है। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूॅ। अतः एतत् द्वारा अमानत राशि रू. 25000/– (अक्षरी रू. पच्चीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक ....दिनांक ....जो कि ... .बैंक शाखा का है। रू. ....रू. संलग्न किया जा रहा है।

तकनीकी अहर्ताएं

क्रमांक	आवश्यक अर्हता	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व प्रमाणित दस्तावेज
1.	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र ।
2	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनरशीप डीड।
3	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था /फर्म के संचालक मंडल/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।
4	निविदाकर्ता का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।

5	उपलब्ध वाहन का प्रकार (नया वाहन खरीदने की स्थिति में तदाशय का शपथ पत्र संलग्न करें। जिसमें मार्ग का नाम उल्लेखित करते हुए निविदा में वांछित क्षमता व मॉडल का इंशुलेटेड वाहन प्रस्तुत किया जाएगा।)		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति लगावें।

नोटः–

1. उक्त दस्तावेजों (जिनकी छायाप्रतियां मांगी गई है) की स्वयं के द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, तथा निविदा स्वीकृति होने पर मूल दस्तवेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
2. तकनीकी अर्हताओं संबंधित प्रपत्र क्रमाक 01 निविदा की शर्ते एवं प्रपत्र क्रमांक 02 पूर्ण रूप से भरकर हस्ताक्षर कर आर्नेस्ट मनी डी.डी. के साथ एक लिफाफे में एवं निविदा दर सम्बन्धी प्रपत्र क्रमांक 03 ऑनलाईन के माध्यम से प्रस्तुत करना होगी। तकनीकी अर्हताएं पूर्ण करने वाले निविदाकार की ही निविदा दरें खोली जावेगी। प्रपत्र क्रमांक 04 , अनुबंध की शर्तो का प्रारूप पढ़कर, समझकर मान्य होने की स्थिति में ही निविदा प्रस्तुत करें।
3. उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

हस्ताक्षर ....

नाम––––––––––––––––––

पता––––––––––––––––––
––––––––––––––––––
––––––––––––––––––

दूरभाष नम्बर ––––––––––––––––––
मोबाईल नम्बर ––––––––––––––––––

<u>प्रपत्र क्रमांक –03</u>

सॉची दूध परिवहनकर्ता हेतु भाव पत्र

1. प्रस्तावित दर –

मार्ग क्र.	मार्ग का नाम	परिवहन दर रूपये/प्रति किलोमीटर
1	उज्जैन से आगर, कानड़ मार्ग	अंको में (..) शब्दों में (..)

समस्त दरें तापरोधी वाहन हेतु ही मान्य होगी।

प्रपत्र क्रमांक – 04
(अनुबंध शर्तों का प्रारूप)

दूध वितरण परिवहन हेतु अनुबंध पत्र

यह अनुबंध आज दिनांक ....को प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़ उज्जैन एवं श्री.. ....जिन्हे आगे परिवहन अथवा ठेकदार के नाम से संबोधित किया जावेगा, के मध्य निष्पादित किया गया है। इस अनुबंध के तहत निम्न शर्तों के अधीन दुग्ध संघ व परिवहनकर्ता कार्य संपादित करेगें –

ठेकेदार द्वारा उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के आगर दुग्ध शीतकेन्द्र से संचालित मार्ग ....के समस्त वितरण केन्द्रों तक दुग्ध पैकेट एवं दुग्ध वितरण केन्द्रों से खाली क्रेट दुग्ध संघ तक परिवहन करने के वास्ते अपने तापरोधी निजी वाहन क्रमांक .... से मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन द्वारा निर्धारित समय पर परिवहन हेतु निविदा में आवेदन किया हैं एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इसमें आगे लिखे गए अनुबंध एवं शर्तों पर निविदाकार के आवेदन पर परिवहन दर रूपये .... प्रति किलोमीटर आना व जाना मिलाकर स्वीकार किया है।

1. यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा। इसके लिए दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायालयीन प्रकिया से मुक्त होगा। यदि परिहवहनकर्ता इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बाबत् देना होगा।

2. यह कि ठेकेदार होने पर ठेकेदार निर्धारित मार्गो एवं स्थानों पर अपने तापरोधी (इंसुलेटेड) निजी वाहन द्वारा दुग्ध वितरण करेगा। मार्ग केन्द्र व निर्धारित समय एवं दूरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जावेगी, एवं इसमें आवश्यकता अनुसार समय–समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा, जो ठेकेदार पर बंधनकारी होगा एवं मार्ग की दूरी निविदा में दर्शाए गए विक्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन दुग्ध संघ को होगा, इसका अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा। यदि वाहन अधिकतम किलोमीटर दर्शाने से दस किलोमीटर प्रतिदिन ज्यादा चलती है तो उसकी दर निर्धारित करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

3. अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी परिस्थिति में अनुबंध को जारी रखना संभव न होने की स्थिति में एक माह की पूर्व सूचना पर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार उभय पक्ष को होगा।

4. यह कि निविदा में निर्देशित दरों में वाहन चलाने संबंधी समस्त व्यय व दूध की क्रेट्स तथा केन वाहन में लोड़ करने व मार्ग में विक्रय केन्द्रों पर चालान के अनुसार उतारने तथा निर्धारित समय में केन्द्रों से क्रेट/पैकेट एवं केन आदि वापस लेकर उज्जैन डेयरी संयंत्र में चालान के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित व्यक्ति को सौंपने के लिए पारिश्रमिक का व्यय सम्मिलित होगा।

5. (अ)– ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा जितनी क्रेट डेरी से प्राप्त की गई है। उतनी ही क्रेट डेयरी संयंत्र में वापस कर रसीद प्राप्त करनी होगी। अन्यथा जितने क्रेट कम वापस किये जायेगें, उतने क्रेटों की कीमत की राशि ठेकेदार के बिल में से काटी जावेगी।

(ब)– विभिन्न विक्रय केन्द्रों पर प्रतिदिन मांग अनुसार दुग्ध मात्रा ठेकेदार को चालान में दर्शाई मात्रा के अनुसार उतारना होगा एवं त्रुटि पाए जाने पर समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं इसी प्रकार किसी कारणवश विक्रय कन्द्रों से वापिस होने वाले दूध एवं क्रेट एकत्रित कर पूर्ण रूप से डेयरी प्लांट में वापस करनी होगी। यदि किसी प्रकार की कमी पाई गई तो क्रेट एवं दूध की मात्रा के समतुल्य राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

6. यह कि इस अनुबंध के विरूद्ध परिवहनकर्ता द्वारा प्रथम पक्ष के पास रूपये 1,00,000/– प्रतिभूति जमा की गई, साथ ही अपने स्वयं के नाम से ....बैंक में संचालित हो रहे खाता क्रमांक .... के 5 चैक हस्ताक्षरित/ रेखांकित प्रतिभूति बतौर जमा किये है, जो प्रथम पक्ष के द्वारा परिवहनकर्ता से वसूली योग्य किसी भी राशि के प्राप्त करने हेतु उपयोग किये जा सकेगें ।

7. मार्ग पर आकस्मिक रूप से बढ़ने वाली मांग की पूर्ति के लिए अतिरिक्त वाहन या अधिक क्षमता के वाहन की व्यवस्था की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी। अतिरिक्त वाहन व्यवस्था का भुगतान अनुबंधित दर पर किया जा सकेगा।

8. यह कि ठेकेदार वाहन के साथ चलने वाले वाहन चालक नियुक्त कर्मचारियों के नाम फोटो सहित प्रस्तुत करेगें। ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा अधिकृत परिचालक वाहन चालक संघ के वितरण स्थल पर वितरण शीट में वाहन आने के समय हस्ताक्षर करेगा। वितरण होने वाले

दुग्ध परिवहन के दौरान गाड़ी बिगड़ जाने की स्थिति में ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह दूसरी गाड़ी भेजकर या दूसरा इंतजाम करके समय पर कार्य संपन्न करें, अन्यथा समय पर दुग्ध वितरण न होने से कोई हानि हुई तो वह ठेकेदार की वसूली योग्य होगी। ऐसी घटना होने पर निविदा निरस्त करके ठेकेदार की जमा प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।

9. यह कि वाहन की खराबी अथवा ठेकेदार पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार से वाहन के विलम्ब होने या दुर्घटना होने आदि की परिस्थिति में दुग्ध खराब होने पर या टूट फूट होने पर जो मुल्यांकित हानि होगी, उसका संपूर्ण दायित्व वाहन ठेकेदार का रहेगा।

10. यह कि ठेकेदार हर पखवाड़े में एक दिन कार्यालय में सम्पर्क कर एवं हिसाब मिलान कर उनके देयक से काटी जाने वाली राशि के संबंध में समाधान कर ले, अन्यथा नियमानुसार राशि देयक से काट ली जावेगी, जो ठेकेदार को मान्य करनी होगी।

11. यह कि ठेकेदार अपने वाहन से दूध व दूध के पैकेट्स एवं क्रेट/केन भरकर उतनी मात्र मे ही ले जावेगें, जितनी की शीट चालान में दर्शाई गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध वाहन में पाया जाता है तो अधिक पाये गये दूध/दुग्ध पदार्थ/ केन क्रेट की मुल्यांकित राशि की 100 गुना राशि अर्थदण्ड स्वरूप संबंधित वाहन के ठेकेदार से की जा सकेगी।

12. यह कि ठेकेदार/ वाहन चालक, ठेकेदार के कर्मचारी वापसी में सभी केन क्रेटस लायेंगे दुग्ध चालन की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार की काटा पीटी नहीं करेगें, न ही दुग्ध की मात्रा स्वेच्छा से घटायेगें/बढ़ायेंगे। दुग्ध विक्रेता की मांग की मात्रा से अधिक प्रदाय होने पर वापसी की पूरी दूध की रकम ठेकेदार से वसूली की जावेगी।

13. यह कि दुग्ध वितरण केन्द्र पर भेजे गये दुग्ध को ठेकेदार या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार से विक्रय नही करेगें। ऐसा पाया गया तो विक्रय की गई दूध की राशि से दुगुनी कीमत वसूल की जावेगी।

14. यह कि ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी आदि वितरण किये जाने वाले दूध की मात्रा या स्तर में किसी प्रकार की गड़बड़ी करेगा, तो उसकी जवाबदारी ठेकेदार की होगी, तथा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर दुग्ध संघ के अधिकारी द्वारा लिए गये सेम्पल की संघ प्रयोगशाला का जांच में प्रथम दृष्टि में अपमिश्रण की पुष्टि हुई तो तुरंत निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन को होगा एवं प्रतिभूति राशि भी जप्त की जा सकेगी।

15. यह कि वाहन ठेकेदार द्वारा कर्मचारी यदि वितरित किये जाने वाले दूध की मात्रा रिटर्न करता है एवं वह मात्रा (प्रयोगशाला) परीक्षण में अपमिश्रण की पुष्टि होती है तो ठेका निरस्त करके प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।

16. यह कि ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी कार्यालय में किसी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ऐसे कर्मचारी की शिकायत करने पर इस कर्मचारी को कार्य से ठेकेदार के तुरन्त हटाना होगा । ठेकेदार कार्यालय के किसी भी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करने पर उनका ठेका तुरंत निरस्त कर उनका नाम ब्लेक लिस्ट में लगाया जा सकेगा।

17. संघ डेयरी डॉक पर पैकेट में दूध क्रेट के माध्यम से देगा, जिसे निर्धारित समय में परिवहनकर्ता को उठाना होगा। डेयरी डॉक पर परिवहनकर्ता छॉट कर दूध का पैकेट लेगा एवं वितरकों को अच्छे पैकेट देगा दुग्ध वितरण के उपरांत विपणन विभाग की लिखित अनुमती उपरांत ही वितरण दुग्ध के पैकेट वापस लिये जा सकेंगे।

18. यह कि उज्जैन सककारी दुग्ध संघ के सुरक्षा गार्ड द्वारा जांच करने कीदशा में ठेकेदार के अटेन्डेन्ट दूध के क्रेट उठाकर निरीक्षण कार्य को संपन्न करावेंगे। सुरक्षा गार्ड एवं वितरण कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यहार नहीं किया जावेगा, व उसके पूर्ण जांच किये जाने में सहयोग देंगें। शंका की स्थिति में संतोषप्रद जांच पड़ताल होने के पश्चात ही दुग्ध वितरण वाहन को डेयरी से बाहर जाने दिया जावेगा।

19. यह कि अधिकृत वाहन चालक एवं अटेंडेन्ट के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को गाड़ी के साथ नहीं लाया जावेगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति गाड़ी में पाये गये तो ठेकेदार से रूपये 250/—प्रतिव्यक्ति की दर से शास्ति वसूल करने का अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। विशेष परिस्थितियों में वाहन यदि निर्धारित समय में 15 मिनट तक की अवधि में विलम्ब से आता है तो उसकी छूट दी जावेगी, तत्पश्चात अन्य वाहन की व्यवस्था में जो वास्तविक देय होगा या ठेके अनुसार दिया जाने वाला जो किराया होगा उसका दुगना (जो भी अधिक देयक हो) ठेकेदार से वसूल किया जावेगा। जितने दिन ठेकेदार दुग्ध वितरण के लिए अपना वाहन नहीं भेजेंगे, उतने दिन के लिए उपरोक्तानुसार ही प्रतिदिन के हिसाब से वसूली की जावेगी। इसके अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था व्यय के लिए रूपये 200/— पृथक से वसूल किया जावेगा।

20. यह कि दुग्ध वितरण के पश्चात खाली क्रेट्स वापसी लेकर निर्धारित समय में डेयरी में आना अनिवार्य है। प्राप्त की गई क्रेट उसी संस्था में वापिस न आने पर कम प्राप्त क्रेट की राशि

कटौत्रा परिवहन देयक से तत्काल किया जायेगा। परिवहनकर्ता को देयक के साथ क्रेट्स का मासिक हिसाब देना होगा।

21. यदि ठेकेदार का वाहन खराब हो जाता है तो महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंक या प्रबंधक विपणन की लिखित अनुमती से अस्थाई रूप से वह दूसरी वाहन की व्यवस्था करेगा। जिसकी अधिकतम अवधि पन्द्रह (15) दिन की रहेगी। तत्पश्चात स्वयं का वाहन कार्य पर लगाना होगा। ऐसा न करने पर ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ का होगा।

22. यह कि ठेकेदार का वाहन खराब होने पर जो अस्थाई वाहन की व्यवस्था ठेकेदार करेगा, उसी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, इस हेतु अग्रिम जानकारी भी कार्यालय को देनी होगी।

23. मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ उज्जैन डेरी उज्जैन अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुमति के बिना ठेकेदार दुग्ध पदार्थ या दुग्ध सेचेट/क्रेटों से भरी गाडी के साथ किसी भी बाहरी व्यक्ति या अन्य सामग्री को नही ले जा सकेगा।

24. देयकों का भुगतान माह में एक बार किया जावेगा, ठेकेदार को नियमित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक के सत्यापन टीप एवं कार्य संतोषप्रद होने की अनुशंसा टीप तथा क्रेट/ केन खाते की Reconciled बकाया स्थिति अंकित कराने पश्चात देयक संघ में जमा कराना होगा, जिसका भुगतान संघ द्वारा देयक प्रस्तुत होने के बाद 15 दिवस में चैक द्वारा किया जा सकेगा।

25. वाहन चालक या अटेन्डेन्ट द्वारा शीतकक्ष में दुग्ध के सचेट मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के निर्देशानुसार निकालेगा। वाहन चालक द्वारा अभद्र व्यवहार करने या आदेशों की अवहेलना करने पर प्रबंधक (संयत्र संचालन) या डॉक विभाग कर्मी द्वारा शिकायत करने पर दोषी कर्मचारी को ठेकेदार को तुरंत बदलाना होगा।

26. यह अनुबंध दिनांक ....से ....तक 2 वर्षीय ठेका अवधि तक प्रभावशील रहेगा, इसके अन्तर्गत उल्लेखित निर्देशों की अवहेलना करने या संताषप्रद काम नहीं होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ द्वारा बिना कोई कारण बताये ठेका समाप्त करे सकेगा, एवं ठेका समाप्त किये जाने पर ठेकेदार किसी भी क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं होगा। कार्य संतोषप्रद होने पर ठेका अवधि एक–एक वर्ष कर तीन वर्षों तक बढ़ाई जा सकेगी।

27. वितरण के दौरान वाहन का आकस्मिक निरीक्षण किसी भी स्थान पर दुग्ध संघ, उज्जैन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी/पर्यवेक्षक के द्वारा किया जा सकेगा। उसे निरीक्षण करने से रोकना या उसके साथ अभद्र व्यवहार करने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

28. ठेकेदार को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा, और न ही उप ठेकेदार नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो ठेका तुरंत निरस्त करने का अधिकार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ को होगा ।

29. संघ की बकाया कोई भी राशि ठेकेदार की प्रतिभूति राशि से वसूली की जा सकेगी ।

30. डेरी की परिधि के अंदर आने जाने वाले वाहन निर्धारित (20 कि.मी.) की रफ्तार से ज्यादा की गति से नहीं चलाया जावें, और न डेरी की परिधि में वाहन की साफ सफाई की जावें। यदि ऐसा किया गया तो रूपये 100/– प्रतिवाहन प्रतिबार जुर्माना किया जावेगा, जो कि परिवहनकर्ता के देयक से काटा जावेगा।

31. ठेकेदार द्वारा दिये गए भाव स्वीकृत हेाने पर उसी भाव से ठेका अवधि में अपना स्वयं का वाहन चलाएगा। यदि ठेकेदार द्वारा वाहन चालाने के लिए असमर्थता की गई तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ठेकेदार की निविदा निरस्त करने तथा प्रतिभूति राशि जप्त करने का अधिकार होगा।

32. उपरोक्त किसी भी शर्तों एवं दुग्ध संघ द्वारा दिए गए निर्देशों, शर्तों एवं सूचनाओं की अवहेलना होने की स्थिति में ठेका निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ को होगा।

33. ठेके के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशामें अध्यक्ष उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ, उज्जैन या उनके द्वारा नियुक्त संचालक/अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पक्षों को बंधनकारी होगा।

34. उपरोक्त शर्तों के अलावा संघ के हित को देखते हुए कोई भी अतिरिक्त शर्त लगाने का अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, को होगा।

35. वाहन ठेकदार को क्रेट का लेखा जोखा स्वयं रखना होगा, कम क्रेट की वसूली हेतु आदेश पत्र ठेकेदार को दिया जावेगा, उस आदेश पत्र प्राप्ति के 06 दिवस के अंदर बकाया क्रेट संघ में जमा करना होंगें, अन्यथा निर्धारित दर के अनुसार बिना पूर्व सूचना के ठेकेदार देयक से कम क्रेटों की राशि काट ली जावेगी। कटोत्रा होने पश्चात कटी गई राशि वापस नहीं होगी।

36. ठेकेदार खाली क्रेटों का लेखा जोखा प्रत्येक माह का अगले माह की 5 तारिख को स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर शीघ्र निराकरण कर लेवे निराकरण पूर्ण न करने की स्थिति में संघ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसके लिए स्वयं ठेकेदार उत्तदायी होगा।

37. यह अनुबंध दो वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगा, दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य दो वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष करके तीन वर्ष तक आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।

38. यदि वाहन ठेकेदार शर्तों के परिचालन में असमर्थ है या ठेका अनुबंध समाप्त करना चाहता है तो उसको एक माह पूर्व संघ को लिखित सूचना देना होगा, ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रतिभूति राशि एवं शेष देयकों की राशि राजसात की जा सकेगी।

39. वाहन ठेकेदार द्वारा अनुबंध की सभी अथवा किसी भी निबंधन एवं शर्तों के भंग करने पर इस अनुबंध को निरस्त करने एवं कोई अन्य व्यवस्था करने के लिए उज्जैन दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा, इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने की दशा में ठेकेदार द्वारा उज्जैन दुग्ध संघ के पास जमा कराई गई प्रतिभूति निक्षेप राशि जप्त कर ली जावेगी, एवं इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने के कारण उज्जैन दुग्ध संघ को होने वाली क्षतियों एवं हानियों का भुगतान ठेकेदार को उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ की मांग करने पर तुरंत करना होगा, क्षतियों एवं हानियों के निर्धारण जो कि ठेकेदार से वसूल की जाना है के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

40. वाहन ठेकेदार उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन का नाम मात्र सदस्य बनेगा, एवं इस अनुबंध से संबंधित कोई भी विवाद केवल पंजीयक सहकारी संस्थाए म.प्र. के न्यायालय में ही प्रस्तुत करेंगे।

41. ठेके के बीच अवधि में यदि डीजल ऑयल की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि/ कमी होती है तो अनुपातिक वृद्धि/कमी संघ के नियमानुसार वाहन की स्वीकृति दरों में की जा सकेगी।

42. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत वाहन ठेकेदार द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी। तथा जिन कर्मचारियों से वाहन पर कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की नियमानुसार भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी बीमा राज्य अधिनियम के प्रावधान अनुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित विभाग में जमा करने की जिम्मेदारी वाहन ठेकेदार की होगी।

43. यदि कार्य संपादन करने में वाहन ठेकेदार संघ के मापदण्डों पर उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो परिवहन ठेका एक माह के नोटिस पर संघ को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रहेगा तथा कार्य समापन करने की अक्षमता के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार एवं जवाबदार होगें, तथा संघ उक्त वितरण मार्ग पर अन्य परिवहन ठेकेदार की नियुक्ति वास्ते पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होगा।

44. दुग्ध की मांग के अतिरिक्त दुग्ध उत्पाद की मांग होने पर एवं वाहन में पर्याप्त स्थान होने पर दुग्ध उत्पाद का परिवहन भी करना अनिवार्य होगा, जिसके लिए पृथक से परिवहन व्यय नहीं दिया जावेगा। वाहन में लोड़ दुग्ध पदार्थ के व्यवस्थित रख रखाव एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, इसमें लापरवाही होने पर यदि पदार्थ को कोई हानि होती है तो ठेकेदार से वसूली की जा सकेगी।

45. परिवहनकर्ता को वितरक कार्य में संलग्न वाहन का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एन.ओ.सी. प्रमाण पत्र एवं एफ.एस.एस.ए.आई. (फूड सेफ्टी लायसेंस) प्रतिवर्ष नवीनकृत कराकर प्रस्तुत करना होगा।

46. आपातकालीन स्थिति यथा नदी–नाले चढ़ने पर या अन्य किसी अप्रत्याशित घटना से मार्ग अवरूद्ध होने की दशा में दुग्ध वितरण संभव नहीं होने पर संबंधित क्षेत्र के थाने से लिखित सूचना/प्रबंधक शीतकेन्द्र से लिखित सूचना कार्यालय में 48 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना

अनिवार्य होगा, अन्यथा दुग्ध वापसी की दशा में नियमानुसार कटोत्रा मासिक देयक से किया जावेगा।

47. उपरोक्त अनुबंध के शर्तों के अलावा समय–समय पर संघ द्वारा जो भी लिखित निर्देश पत्र/परिपत्र के माध्यम से दिए जाएंगें, वे सभी इस अनुबंध के भाग माना जाऐंगे एवं उसके पालन हेतु परिवहनकर्ता बंधनकारी होगा।

48. यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे निराकरण हेतु Arbitrator अध्यक्ष, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ उज्जैन के समक्ष रखा जावेगा। उनका या उनके द्वारा नियुक्त किये सक्षम अधिकारी का निर्णय दोनो पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा।

49. इस अनुबंध का न्यायिक कार्य क्षेत्र, उज्जैन शहर का न्यायालय होगा।

हस्ताक्षर ठेकेदार –

नाम...

नाम...पिता का नाम ....आयु............निवासी........................ ....ऊपर उल्लेखित हस्ताक्षरित की गई निविदा क्षेत्र मेरे द्वारा भलीभांति पढ़कर/समझकर एवं स्वीकार कर उज्जैन दुग्ध संघ के पक्ष में हस्ताक्षरित की गई।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष) मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्या. मक्सी रोड़, उज्जैन – 456010	हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष) परिवहनकर्ता नाम..

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1

नाम : ....

पताः...

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1

नाम :..

पताः ....

मार्ग का विवरण

1— **उज्जैन से आगर मार्ग :—**
उज्जैन दुग्ध संघ से

- आगर
- कानड़

वाहन का प्रकार : टाटा 608 अथवा समकक्ष इन्सुलेटेड वाहन
क्रेट क्षमता :— 450 क्रेट
मॉडल : 2014 या उसके बाद का
आना जाना दूरी :— 195 कि.मी.
औसत विक्रय — 5400 लीटर प्रतिदिन
दर : प्रतिकिलोमीटर अनुसार